

राज्य स्तरीय

विनिर्माता/आयातक/पुलहैंडलिंग एजेंसी/थोक उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र का संशोधन (जाँच –पत्र)

1. आवेदक का फोटो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. बिहार राज्य में निर्गत जी० एस० टी० प्रमाण पत्र, जिसमें गोदाम का पूर्ण पता प्रविष्टि हों। यदि निर्गत नहीं होने के स्थिति में उर्वरक प्राधिकार पत्र निर्गत होने के तीन महीने के अंदर संबंधित कोषांग को जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करें।)
3. संशोधन शुल्क—रु० 150/- प्रति प्रविष्टि का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. मूल प्राधिकार पत्र।
5. संशोधन का प्रकार :-

(i) कार्यालय/बिक्री केन्द्र का परिवर्तन :-

(क) कार्यालय/बिक्री केन्द्र का पूर्ण पता।

ख) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।(1000रु० के बिहार सरकार का ई-स्टाम्प पेपर पर)/स्वयं की भूमि है तो 1000रु० के बिहार सरकार का ई-स्टाम्प पेपर पर निर्गत प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ग) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन(कार्यालय हेतु)।

(ii) गोदाम प्रविष्टि हेतु:- (क) गोदाम का पुरा पता (ख) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।(1000रु० के बिहार सरकार का ई-स्टाम्प पेपर पर)/स्वयं की भूमि है तो 1000रु० के बिहार सरकार का ई-स्टाम्प पेपर पर निर्गत प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ग) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन(कार्यालय हेतु)।

(iii) (क) अन्य निर्माता/थोक विक्रेता एवं आयातक के उर्वरकों की प्रविष्टि -

(i) स्रोत-प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति एवं निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) बिहार सरकार/भारत सरकार अथवा अन्य राज्य द्वारा अधिसूचित/सरकारी संस्थान/प्रयोगशाला का फार्म-J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। (आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व का निर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।(नये विपणनकर्ता/विनिर्माणकर्ता कंपनी को आवेदन करते समय Bio-stimulant उत्पाद के गुणवत्ता जाँच हेतु प्रपत्र जे० एवं फार्म एल० के संबंध में शपथ पत्र देना होगा एवं विपणन/विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत होने के तीन माह के अंदर बिहार सरकार/भारत सरकार अथवा अन्य राज्य द्वारा अधिसूचित/सरकारी संस्थान/प्रयोगशाला द्वारा फार्म जे० एवं फार्म एल० में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। (तीन माह के अंदर फार्म एल० में रिपोर्ट जमा करने हेतु बिहार सरकार के E-Stamp पर 100 रुपये स्वघोषणा पत्र अभिप्रमाणित करा कर विभाग को जमा करना अनिवार्य होगा)।

(ख) यदि आयातक है तो

(क) आयातक प्रमाण पत्र (Importer Exporter Code) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश (Supply Order) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ग) आयातित उर्वरक का आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत Source of Origin/Certificate of Origin की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(घ) लदान का बिल(Bill of Lading) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(iv) नाम परिवर्तन :- कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिलिपि।

(v) नाम परिवर्तन(Responsible Person) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत Responsible Person का नियुक्ति पत्र (नमूना फॉर्मेट संलग्न)। Responsible Person का कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन विज्ञान में स्नातक प्रमाण पत्र अथवा किसी सरकारी संस्थान यथा कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय द्वारा निर्गत 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(v) ईकाई की प्रविष्टि:- (i) यदि कम्पनी रजिस्ट्रार/पार्टनरशीप डीड या प्रोपराईटरशीप डीड की छायाप्रति।

(ii) बिहार सरकार के 500 रुपये के E-Stamp पर नोटाराईज्ड शपथ पत्र।

6. भारत सरकार का राजपत्र(असधारण) की छायाप्रति।

7. सभी छाया प्रति कागजात का स्व-अभिप्रमाणितप्रति।